


20=00 रुपये के स्टाम्प पेपर
पर नोटरी से सत्यापित

प्रपत्र-26
(नियम 4क देखिये)



88, आगरा दक्षिण (सामान्य) उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र के नाम)

उत्तर प्रदेश विधानसभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला शपथ पत्र।

भाग-क

मैं योगेन्द्र उपाध्याय पुत्र स्व0 राजेन्द्र नारायण अयु 66 वर्ष जो 127, नॉर्थ ईदगाह कालोनी आगरा का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ। शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ, के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।


(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 88, आगरा दक्षिण (सामान्य) उत्तर प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में क्रम संख्या 760 पर भाग सं. 97 में प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं० 8765954787 है और मेरा नाम ई-मेल आई डी yogendraupadhyav808@gmail.com है। (यदि कोई हो तो)

(4) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति:

क्र.	नाम	पी.ए.एन. (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	पिछते पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आय-कर विवरणी में दर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं (योगेन्द्र उपाध्याय)	AAYP8919L	Financial Year 2020-2021 Assessment Year 2021-2022	(i) 2016-17 रु 6,17,740/- (ii) 2017-18 रु 7,52,990/- (iii) 2018-19 रु 5,58,410/- (iv) 2019-20 रु 2,43,810/- (v) 2020-21 रु 4,16,590/-
2.	पति/पत्नी (प्रीति उपाध्याय)	AAYP8918M	Financial-Year 2020-2021 Assessment Year 2021- 2022	(i) 2016-17 रु 3,21,210/- (ii) 2017-18 रु 3,11,640/- (iii) 2018-19 रु 3,13,880/- (iv) 2019-20 रु 4,01,880/- (v) 2020-21 रु 4,85,990/-
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्थी कर्ता या सहदायिक है)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
4.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



(Handwritten signature)

टिप्पण: स्थायी खाता संख्या (पैन) धारके लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित नहीं हुआ है"।

(5) लंबित अपराधिक मामले:-


(i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने "लागू नहीं" होता है लिखें)

या

(i) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित अपराधिक मामले लंबित हैं। (यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध अपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें।)

सारणी

1.	(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	रकाबगंज आगरा मुकदमा अपराध संख्या - 125 / 1990
	(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	सी0जे0एम0 आगरा केस नं. 611 / 1997
	(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/ संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	धारा 147,342,332,353,467, 04,506,IPC
	(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	वादी को उसकी गाड़ी से बाहर खींच लिया गाड़ी की चाबी छीन कर उसे गाड़ी में बैठा लिया और उसकी गाड़ी से उसे नामनेर चौराहा पर ले गये गाड़ी में ले जाते समय वादी के साथ अभद्रता की गालियों दी तथा अपमानित किया। नामनेर चौराहे पर वादी की पिटाई की।
	(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं, मुकदमें की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्टे है
	(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है तो वह तारीख दें, जिसकी आरोप विरचित किए गए थे।	लागू नहीं होता
	(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं




20/10/2022

2.	(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	थाना – आगरा कैण्ट जी.आर.पी, आगरा मुकदमा अपराध संख्या 34/2013
	(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	ए0सी0जे0एम0 प्रथम आगरा केस नं. 7753/2013
	(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराए (धारा की सं, दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	धारा 147,353,283,504, IPC & 174 RLY Act & 7 CLA Act -
	(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	आगरा कैण्ट रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का विरोध करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया।
	(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	हाँ,
	(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हाँ है तो वह तारीख दें, जिसकी आरोप विरचित किए गए थे।	दिनांक 15.02.2020 को आरोप विरचित हो चुका है।
	(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं

3.	(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	थाना – चौकी राजामण्डी जी.आर.पी, आगरा कैण्ट आगरा मुकदमा अपराध संख्या 35/2013
	(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	ए0सी0जे0एम0 प्रथम आगरा केस नं. 7754/2013
	(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराए (धारा की सं, दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	धारा 147,353,283,504, IPC & 174 RLY Act & 7 CLA Act
	(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	आगरा कैण्ट रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का विरोध करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया।
	(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	हाँ,
	(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हाँ है तो वह तारीख दें, जिसकी आरोप विरचित किए गए थे।	दिनांक 15.02.2020 को आरोप विरचित हो चुका है।
	(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं

S265/2611/2022



(Signature)

4.	(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं.	थाना – जी.आर.पी आगरा कैंप, आगरा मुकदमा अपराध संख्या 36/2013
	(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	ए0सी0जे0एम0 प्रथम आगरा केस नं. 7755/2013
	(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं, दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	धारा 147,353,283,504, IPC & 174 RLY Act & 7 CLA Act
	(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	आगरा कैंप रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का विरोध करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कराया या।
	(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	हाँ,
	(च)	यदि उपर्युक्त मद (ङ) के सामने उत्तर हां है तो वह तारीख दें, जिसकी आरोप विरचित किए गए थे।	दिनांक 15.02.2020 को आरोप विरचित हो चुका है।
	(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	नहीं

(6) दोषसिद्धि के मामले:-

- (i) मैं यह घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने "लागू नहीं" होता है लिखें)
- या
- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया है- लागू नहीं होता
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिन्हांकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे दी गई सारणी में ब्यौरे दे)

सारणी

(क)	मामलो संख्यांक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं, दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(Signature)



(घ)	अपराधो का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ङ)	दोषसिद्ध के आदेशों की तारीखें	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(च)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(छ)	क्या दोषसिद्ध के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है तो अपील के ब्यौरे तथा वर्तमान प्रारिथिति दे।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(6क) मैंने, उपर पैरा (5) और (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

(ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5 (i) और पैरा 6 (i) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए)

टिप्पण:

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के मामले विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती है।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं, 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।


(7) यह है कि मैं, मेरी पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) का भी ब्यौरे नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम संख्या, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंद पत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।



(Handwritten signature)

टिप्पण 4 – आश्रित से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा अभिप्रेत है, जिसके आये के पृथक साधन नहीं है और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित है।

टिप्पण 5 – प्रत्येक विनिधान के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग रूप में दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 – ब्यौरे में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंको और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यौरे और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे अभिप्रेत हैं:

क्र. सं.	विवरण	स्वयं (योगेन्द्र उपाध्याय)	पत्नी (प्रीति उपाध्याय)	हिन्दू अविभक्त	आश्रित-1
(i)	हाथ में नकदी	रु. 200000.00 (दो लाख रुपये)	रु. 100000.00 (एक लाख रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा, जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंककरी वित्तीय कम्पनियों तथा सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	(1) एस.बी.आई सिविल लाईन, विधानसभा मार्ग, लखनऊ उ०प्र० में जमा रु. 25094.00 (2) बैंक आफ बडौदा एम.जी. रोड आगरा स्थित पत्नी के साथ संयुक्त बैंक खाते में जमा धनराशि रु. 857070.00	(1) पंजाब नेशनल बैंक, एम.जी.रोड आगरा में जमा धनराशि रु. 315118.00 (2) पंजाब नेशनल बैंक, बैंक कॉलोनी, आगरा में जमा धनराशि रु. 1033745.00 (3) केनरा बैंक, ईदगाह आगरा स्थित बैंक खाते में जमा धनराशि रु. 405623.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	आई.बी.डी. आई.डी. बॉन्ड रु 5300.00	आई.बी.डी. आई.डी. बॉन्ड रु 5300.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पोलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	एल.आई.सी. रु 200000.00	एल.आई.सी. रु 200000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गये वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	मोटर/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संस्था आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	डब्ल्यू.आर.बी. कार UP80 ED-9990 Year - 2018 Rs. 1200000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) भार और मूल्य के व्योरे)	460 ग्राम सोने के गहनें कीमत करीब रु. 2300000.00	500 ग्राम सोने के गहनें कीमत करीब रु. 2500000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(viii)	कोई अन्य आस्तियों जैसे कि दावो/हित का मूल्य	राईफल रु 75000.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	सकल कुल मूल्य	रु. 4862464.00	रु 4559786.00	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता


ख. स्थावर आस्तियों के व्यौरें :

टिप्पण 1 : संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम वाली आस्तियों का विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 : प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस संरूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 : व्यौरें में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनके हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्र. सं.	विवरण	स्वयं (योगेन्द्र उपाध्याय)	पत्नी (प्रीति उपाध्याय)	आश्रित-1	आश्रित-2
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)/सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्रफल (एकड़ में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास,निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	गैर-कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्यायें)	(1) खसरा नं0 235, 237 से 240 आदि, मौजा खतैना आगरा 4 पार्टनर्स के साथ	एम.आई. जी. भवन सं. 127 की -	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



	एग्रीमेन्ट जो एक्सपायर्ड हो चुका है। (2) एम.आई.जी. भवन सं. 127 की अतिरिक्त भूमि 74.52 वर्गमीटर का 1/2 भाग स्थित नोर्थ ईदगाह कॉलोनी योजना आगरा। (3) एच.आई.जी. भूखण्ड सं. 17 स्थित बाग फरजाना योजना आगरा।	अतिरिक्त भूमि 74.52 वर्गमीटर का 1/2 भाग स्थित नोर्थ ईदगाह कॉलोनी योजना आगरा।		
क्षेत्रफल (वर्गफीट में कुल माप) (हाँ या नहीं)	(1) लगभग 10000 वर्ग गज सम्पत्ति, एग्रीमेंट एक्सपायर्ड (2) 37.26 वर्ग मीटर (3) 3679.21 वर्ग फीट	37.26 वर्ग मीटर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	(1) अनुबन्ध एक्सपायर्ड हो चुका है। (2) दिनांक 02.04.2021 (3) ए.डी.ए. से आवंटित दिनांक 03.12.2021	दिनांक 02.04.2021	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	(1) अनुबन्ध एक्सपायर्ड हो चुका है। (2) रुपये 5,11,009/- (3) रुपये 49,57,245/- ए.डी.ए. में जमा हो चुके हैं।	रुपये 5,11,009 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
विकास,निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	(1) अनुबन्ध एक्सपायर्ड हो चुका है। (2) रुपये 6,00,000/- (3) रुपये 2,00,00,000/-	रुपये 6,00,000 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



अनुबन्ध

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास,निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याए)	(1) पैतृक मकान स्थित पुरानी ईदगाह कॉलोनी आगरा (2) 1/2 भाग, सम्पत्ति सं. 127 नोर्थ ईदगाह कॉलोनी, आगरा।	1/2 भाग, सम्पत्ति सं. 127 नोर्थ ईदगाह कॉलोनी, आगरा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	(1) पैतृक सम्पत्ति 1200 वर्ग फुट (2) 1/2 भाग ऑफ सम्पत्ति क्षेत्रफल 2803.9987 वर्ग फुट	1/2 भाग ऑफ सम्पत्ति क्षेत्रफल 2803.9987 वर्ग फुट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	1/2 भाग ऑफ सम्पत्ति 1234.40 वर्ग फुट	1/2 भाग ऑफ सम्पत्ति 1234.40 वर्ग फुट	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्या विरासत में आई संपत्ति है? (हाँ या नहीं)	हाँ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	दिनांक 29.07.2017	दिनांक 29.07.2017	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	रुपये 35,00,000/-	रुपये 35,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विकास, निर्माण आदि	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

15/11/2022
 Pawan Kumar
 Sharma Advocate
 Distt.-AGRA
 Regd. No. 2323/02
 GOVT. OF INDIA


(Signature)

	के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान		होता		होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	(1) पैतृक सम्पत्ति रूपये 50,00,000/- (2) रूपये 50,00,000/-	रूपये 50,00,000 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	अन्य (जैसे सम्पत्ति में हित)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	उक्त (i) से (v) तक कुल चालू बाजार मूल्य	रु 3,06,00,000/-	रु 56,00,000/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8). मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति देयताओं/को देयों के व्योरे नीचे देता हूँ


(टिप्पणी : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र.सं.	विवरण	स्वयं (योगेन्द्र उपाध्याय)	पत्नी (प्रीति उपाध्याय)	हिंदू अविम्व त कुटुंब	आश्रित -1	आश्रित- 2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) का ऋण या देय राशि, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया राशि, ऋण का प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	पूर्वोक्त वर्णित नाम (माँ) से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों, निकाय को ऋण या देय, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य देयता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	देयताओं का कुल योग	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



				होता	होता	होता	होता
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में है - हाँ ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात:- (i) सरकारी आवास का पता:- 303 ओ.सी.आर. विधायक निवास, लखनऊ। (ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में निम्नलिखित के मददे कोई शोध्य संदेय नहीं है:- (क) भाटका - देय नहीं है (ख) विद्युत प्रभार - देय नहीं है (ग) जल प्रभार, और - देय नहीं है (घ) 15-01-2022 (तारीख) को टेलीफोन प्रभार (तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात की कोई तारीख होनी चाहिए) टिप्पण - उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।		होता	होता	होता	होता
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलिकॉप्टर्स भी हैं)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
		स्वयं (योगेन्द्र उपाध्याय)	पत्नी (प्रीति उपाध्याय)	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित -1	आश्रित-2	आश्रित -3
(iv)	आयकर शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(v)	जीएसटी शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vi)	नगरपालिका /संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(vii)	कोई अन्य	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू	लागू	लागू	लागू

26/11/2022



Q. W. W. W.

	शोध्य	होता	होता	नहीं होता	नहीं होता	नहीं होता	नहीं होता
(viii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(ix)	क्या कोई अन्य देयता विवादग्रस्त है यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्वलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करे।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं- उ0प्र0 विधानसभा सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन व भत्ते आदि।

(ख) पत्नी- ट्यूशन एवं सिलाई कढ़ाई।

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

(क) स्वयं- उ0प्र0 विधानसभा सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन व भत्ते आदि।

(ख) पत्नी - ट्यूशन एवं सिलाई कढ़ाई।

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत यदि कोई हो - लागू नहीं होता

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - लागू नहीं होता

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - लागू नहीं होता

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - लागू नहीं होता


(घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध है, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे - लागू नहीं होता

(ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार है - लागू नहीं होता

(च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा है - लागू नहीं होता

10. मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष	परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	विद्यालय
1969	हाईस्कूल	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0	बैप्टिस्ट हायर सैकेण्डरी स्कूल, आगरा
1971	इण्टरमीडियेट	माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0	राजकीय इण्टर कालेज, आगरा
1974	बी.एस.सी.	आगरा विश्वविद्यालय,	आगरा कालेज



2/11/2022

		आगरा	आगरा
1977	एम.ए. अर्थशास्त्र	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	आगरा कालेज, आगरा
1982	एल.एल.बी.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	आगरा कालेज आगरा

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए उच्च विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्योरा दें।)


भाग ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) दिए गए ब्यौरों का सारांश :

1.	अभ्यर्थी का नाम	योगेन्द्र उपाध्याय		
2.	पूरा डाक पता	127, नॉर्थ ईदगाह कालोनी आगरा		
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	88, आगरा दक्षिण विधान सभा (सामान्य), उ.प्र.		
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी		
5.	लंबित अपराधिक मामलों की कुल संख्या।	चार (04)		
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया।	लागू नहीं होता		
7.	 का स्थायी लेखा (पैन सं0)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी (योगेन्द्र उपाध्याय)	AAYPU8919L	Financial year 2020 – 21 Assessment year 2021–22	रु. 4,16,590 /-
	(ख) पत्नी (प्रीति उपाध्याय)	AAYPU8918M	Financial year 2020 – 21 Assessment year 2021–22	रु. 4,85,990 /-
	(ग) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(घ) आश्रित-1	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8. आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में) -

	विवरण	स्वयं (योगेन्द्र उपाध्याय)	पत्नी (प्रीति उपाध्याय)	हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	आश्रित-1
क.	"आस्तियों और दायित्वों (अपतट आस्तियों सहित) के रूपयों में ब्यौरे"	रूपये 3,54,62,464 /-	रूपये 1,01,59,786 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ख.	स्थावर आस्तिया				
	(i) स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	रूपये 89,68,254 /-	रूपये 40,11,009 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ii) क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/निर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता



	(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	रूपये 2,56,00,000 /-	रूपये 56,00,000 /-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
9.		दायित्व				
	(i)	सरकारी देय (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
10.		ऐसी देयताओं जो विवादाधीन हैं				
	(i)	सरकारी देय (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11.		उच्चतम शैक्षिक अर्हता :				
			वर्ष	परीक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	विद्यालय
			1977	एम.ए. अर्थशास्त्र	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	आगरा कालेज आगरा
			1982	एल.एल.बी.	आगरा विश्वविद्यालय, आगरा	आगरा कालेज आगरा

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई भी दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे, मेरी पत्नी या मेरे अश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, मद 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या देयता से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है। आज तारीख 19 जनवरी 2022, स्थान - आगरा को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण 1 : शपथपत्र, नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन सायं 3-00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2 : शपथपत्र की किसी शपथ कमिशनर या प्रथम श्रेणी मजिसट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 : सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई सभी स्तंभ खाली न छोड़ा जाना चाहिए। यदि किसी मद के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 : शपथपत्र के किसी भी सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

S No. J/2611/2022
Explained to Shri. Pawan Kumar Sharma Advocate
Read by
Who understands the contents
Solemnly affirm and declare on
Oath on 19/1/2022
At Agra 10:40 AM
Identified by
Set

